राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 23/06–07

विषयः– श्री अशोक कुमार वर्मा, एच.ओ.डी. (फिलॉसफी), 1सी., राजेन्द्र नगर, पटना–16 का प्राप्त आवेदन–पत्र।

30.11.2006 आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर रजिस्ट्रार, पटना विश्वविद्यालय, पटना को दिनांक 30.12.06 तक मंतव्य हेतु भेजा जाय एवं सुनवाई के लिए दिनांक 03.01.07 को प्रातः रखी जाय। आवेदक को भी सूचित किया जाय एवं उनसे कहा जाय कि अगली तिथि के पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अवश्य जमा कर दें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

03.01.2007 आवेदक उपस्थित थे तथा विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव श्री विभाष कुमार यादव आयोग के सामने उपस्थित हुये। यद्यपि आवेदक को आंशिक सूचना उपलब्ध करायी गयी है तथापि आवेदक पूरी सूचना चाहतें हैं। ऐसी स्थिति में कुलसचिव कुल बकाये के बारे में आकलन कर लें, कुल कितनी राशि उपलब्ध हुई एवं भुगतान के बाद कितना बकाया रहेगा तथा इस बकाये का भुगतान कबतक कर दिया जायेगा, इस भी आंकड़ों का समावेश कर आयोग को एक लिखित प्रतिवेदन अगले 15 दिनों में दिया जाय एवं उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाय।

पुनः सुनवाई की दिनांक 24.01.07 को 10.30 बजे प्रातः की जायगी।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

24.01.07 वादी उपस्थित हैं। कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय भी उपस्थित हैं। उन्हों ने बताया और लिखित प्रतिवेदन भी दिया है। श्री अशोक कुमार वर्मा के वेतन के बकाये के बारे में आंकलन कर लिया गया है जिसके आधार पर 2, 56, 194/– बाकी है जिसके भुगतान के लिए सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को 12.01.07 को पत्र लिखा भी गया है। आवंटन मिलते ही इनका भुगतान कर दिया जायगा। अबतक भुगतान कर दिया गया है, इसकी सूचना उनके प्रतिवेदन में नहीं है। निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को नोटिश करना आवश्क प्रतीत होता है वादी को यह वाद में जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

निदेशक, उच्च शिक्षक को नोटिश करें कि अगली तारीख तक बताएँ कि वस्तु स्थिति क्या है और कबतक श्री अशोक कुमार वर्मा के बकाये राशि का भुगतान किया जायेगा। अगली तारिख 20.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की जाती है। कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय 15 फरवरी, 07 तक इसका रिपोर्ट आयोग को भेज दें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

20.02.2007 वादी उपस्थित हैं। रजिस्ट्रार, पटना विश्वविद्यालय–सह –लोक सूचना पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। उनके मंतव्य से ऐसा लगता है कि वित्त के अभाव में अपीलकर्त्ता को बकाये राशि का भुगतान अबतक नहीं दिया गया है, जिसके लिए पटना विश्वविद्यालय ने निदेशक (उच्च शिक्षा) को पत्र भेजा है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील को संशोधित करने के लिए

आयोग से आग्रह किया है और आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार एवं निदेशक (उच्च शिक्षा) को पत्र भेजा जा चुका हैं। अतः निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को वाद में पार्टी बनाने के लिए निदेशित किया जाता है। निदेशक, उच्च शिक्षा को पटना विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि भेजते हुए नोटिस जारी किया जाए कि वे अपना मंतव्य आयोग के समक्ष दिनांक 12.03.2007 तक प्रेषित करें तथा उसकी प्रति वादी को भी दें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 15.03.2007 को प्रातः 10.30 बजे निर्धारित की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.03.2007 आवेदक उपस्थित हैं। पटना विश्वविद्यालय के कुल सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। आवेदक का कहना है कि पटना विश्वविद्यालय से सूचना उन्हें मिल गयी है, पर उस सूचना में यह कहा गया था कि मामला आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग एवं निदेशक, उच्च शिक्षा के यहां लंबित है। अतः अपील को उन्होंने संशोधन किया था। आज निदेशक, उच्च शिक्षा भी उपस्थित हैं। उन्होंने अपना मंतव्य भी दिया है। मंतव्य में सारी बातों को कंडिकावार व्योरा दिया गया है, पर यह नहीं बताया गया है कि अंतिम फैसला लेने में सरकार को कितना समय लगेगा। इसकी अंतिम जानकारी सरकार से लेकर आयोग को दिनांक 16.04.2007 तक सूचित करेंगे एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि 18.04.2007 को 10.30 बजे निर्धारित की जाती है। अगली सुनवाई की तिथि को कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय को स्वयं उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

18.04.2007 आवेदक उपस्थित हैं। निदेशक (उच्च शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग का दिनांक 03.04.2007 का पत्र प्राप्त है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आवेदक का मामला सरकार के स्तर पर लंबित नहीं है। उनहोंने आगे कहा है कि सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं और संबंधित विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दी जाती है।

जहॉ तक दिनांक 01.01.1996 के पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षकों का प्रश्न है, प्रस्ताव प्रशासी विभाग में विचाराधीन है और अन्य विभागों की सहमति लेने के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा। निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा दी गयी सूचना असंतोजनक है। निदेशक (उच्च शिक्षा) ने खुद ही दिनांक 15.03.2007 को आयोग के समक्ष स्वीकार किया था कि संबंधित प्रस्ताव में विभिन्न विभागों से सहमति प्राप्त करनी है। इसलिए उन्हें अंतिम फैसला लेने के लिये एक समय दिया जाय। इस पर आयोग ने जानना चाहा कि अंतिम फैसला लेने में कितना और समय लगेगा इस पर निदेशक उच्च शिक्षा ने कहा था कि आयुक्त एवं सचिव से विचार विमर्श कर आयोग को सूचित कर देगें। आवेदक ने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उनसे जानना चाहा था कि उसे क्रियान्वित करने में और कितना समय लगेगा। इसका उत्तर आज भी प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया जा सका है। अतः आयोग इस विषय पर पूर्ण जानकारी के लिये आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग को निर्देशित करती है कि इस मामले में कंडिकावार स्पष्ट उत्तर आवेदक को दिनांक 10.05.2007 तक देते हुए उसकी एक प्रति आयोग के समक्ष दाखिल करेंगे। सुनवाई की अगली तिथि–15.052007 को 10.30 बजे प्रातः निर्धारित की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.05.2007 आवेदक अनुपस्थित हैं। अपर आयुक्त–सह–सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग का दिनांक 04.05.2007 का पत्र जो श्री अशोक कुमार वर्मा (आवेदक) के नाम से है, की एक प्रति आयोग को भी भेजी गयी है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में सभी विश्वविद्यालयों से वित्तीय व्यय के आकलन से संबंधित सूचनाएं मांगी गयी थी जो प्राप्त हो गयी है। अब वित विभाग की सहमति के पश्चात, अन्य सभी आवश्यक कारवाई कर मंत्रिपरिषद का निर्णय प्राप्त कर अन्तिम आदेश निर्गत करने में पॉच माह समय लगने के बारे में कहा गया है। देय सूचना चूँकि आवेदक को दे दी गयी है और उन्हें वित्तीय लाभ मिलने में कितना समय और लगेगा, बता दिया गया है। वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त